भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-**110001**

सं.ईसीआई/प्रे.नो./**57**/**2017** दिनांक: **6** जुलाई, **2017**

<u>प्रेस नोट</u>

विषय: राष्ट्रपतीय निर्वाचन 2017-मत देने का अधिकार है कि नहीं-स्पष्टीकरण-तत्संबंधी।

चल रहे राष्ट्रपतीय निर्वाचन, **2017** में कुछ निर्वाचकों के मस्तिष्क में इस बारे में शंकाएं उत्पन्न हुई हैं कि क्या राजनीतिक दल के निर्णय की अवज्ञा में मत देने वाले किसी राजनीतिक दल के सदस्य को भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत दल-बदल के आधार पर निरर्हक किया जा सकेगा या राजनीतिक दल अपने सदस्यों को एक विशिष्ट ढंग से मत डालने या मत ही न डालने हेतु लिए गए ऐसे निर्णय के लिए किसी दण्ड का उत्तरदायी होगा। विगत समय के दौरान राष्ट्रपतीय निर्वाचनों के प्रचलन के दौरान इसी तरह के प्रसंग उठाए गए थे। आयोग ने विगत समय में भी प्रेस नोट के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी किया था। इस बारे में जारी किए गए प्रेस नोटों की विषय सामग्री सार्वजनिक सूचनार्थ फिर से प्रस्तुत की जाती हैं।

"आयोग इस संदर्भ में यह स्पष्ट करना चाहेगा कि लोकसभा और राज्य विधान सभाओं, जहां भी निर्वाचनों में मत डालना अनिवार्य नहीं है, की ही तरह भारत के राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन में मत डालना अनिवार्य नहीं है। मतदाता का मत देने का अधिकार भारतीय दण्ड संहिता की धारा **171**क**(**ख**)** में परिभाषित किया गया है जिसका अभिप्राय, किसी व्यक्ति का अभ्यर्थी बनने के लिए खड़ा होने का अधिकार, अभ्यर्थी के रूप में खड़ा न होने का अधिकार, या अभ्यर्थी बनने से नाम वापस लेने का अधिकार, या **निर्वाचन में मत डालने या न डालने का अधिकार है।**" इस प्रकार प्रत्येक मतदाता को अपनी स्वच्छन्द पसंद या इच्छा के अनुसार राष्ट्रपतीय निर्वाचन में अभ्यर्थियों में से किसी भी अभ्यर्थी के लिए मत देने या निर्वाचन में मत न देने के विकल्प की स्वतंत्रता है। यह इसी तरह से राजनीतिक दलों के लिए भी लागू होगा और वे किसी अभ्यर्थी के लिए प्रचार करने या निर्वाचको से मत मांगने के लिए या उनसे मतदान न करने का अनुरोध या याचना करने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, राजनीतिक दल अपने सदस्यों को निर्वाचन में किसी विशिष्ट ढंग से मत देने या न देने के लिए किसी प्रकार का दिशा-निर्देश या ह्विप जारी नहीं कर सकते जिससे उनके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया है क्योंकि वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा **171**ग के अभिप्राय के अध्यधीन अनुचित प्रभाव के समान समझा जाएगा।

आयोग आगे यह स्पष्ट करना चाहेगा कि राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन संसद या विधान सभा के किसी सदस्य द्वारा सदन के भीतर मतदान करने से भिन्न है और यह कि, जैसाकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कुलदीप नयर बनाम भारत संघ **(एआईआर 2006 एससी 3127)** में अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य सभा के निर्वाचन के मामले में जहां अब मत खुली मतदान प्रणाली द्वारा दिए जाते हैं, यदि राज्य विधान परिषद का कोई सदस्य दल के दिशा-निर्देशों, की अवज्ञा में मतदान करता है तो क्या संविधान की दसवीं अनुसूची के उपबंध लागू किए जांएगे।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि राज्य सभा निर्वाचन में निर्वाचक द्वारा इस प्रकार से मतदान करने पर दसवीं अनुसूची के दण्डात्मक उपबंध उस पर लागू नहीं होंगे। उस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणी की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है:-

"**(183)** याचिकाकर्ता का तर्क है कि 'मतदान' में भाग लेने वाली राज्य की विधान सभा द्वारा राज्य सभा की रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन में दसवीं अनुसूची के सिद्धांत सिद्ध करते हैं कि 'खुली मतदान प्रणाली' संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के विफल होने का, साथ ही इसकी शुद्धता(सत्यता) एवं इसके अतिरिक्त, संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के उपबन्धों को भी विफल करने का कारण बनती हैं। इनमें उल्लेख किया गया है कि 'खुली मतदान प्रणाली,' दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हक होने के जोखिम को कम करते हुए निर्वाचन में किसी राजनीतिक दल द्वारा ह्विप जारी करने और शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से अभ्यर्थी को निर्वाचित करने पर नियंत्रण लगाती है**.....**

.....किहोतोहोलोहान वनाम ज़ाचील्लहु(सुपरा) मामले में अधिकथित विधि को देखते हुए, यह दावा करना सही नहीं है कि खुली मतदान प्रणाली अपनाने से विधान सभा के सदस्य दसवीं अनुसूची के अंतर्गत निरर्हित हो सकते है चूंकि संविधान का वह भाग किसी भिन्न प्रयोजन हेतु, तैयार किया गया है।"

माननीय उच्चतम न्यायालय ने पहले भी पशुपति नाथ सुकुल बनाम नेमी चंद्र जैन(एआईआर **1984** एससी **399)** के मामले में निर्णय दिया था कि राज्य विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा राज्य सभा के निर्वाचनों में भाग लेना एक गैर-विधायी कार्य है और यह राज्य विधान सभा के भीतर की कार्यवाही नहीं है। राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन भी एक निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद एवं राज्य विधान सभाओं (संविधान का अनुच्छेद **54)** के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित हैं। इस निर्वाचक मण्डल के निर्वाचकगण निर्वाचन में उक्त निर्वाचक मण्डल के सदस्य के रूप में मतदान करते हैं और ऐसे निर्वाचन में मतदान की कार्रवाई संबंधित सदन के बाहर की कार्रवाई है न कि सदन की कार्यवाही का एक भाग।

अत: कुलदीप नायर (सुपरा) और पशुपतिनाथ सुकुल (सुपरा) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय का उपरोक्त दद्धधृत निर्णय राष्ट्रपतीय निर्वाचन में भी समान रूप से लागू होगा। तदनुसार, आयोग के विचार में, निर्वाचक द्वारा राष्ट्रपतीय निर्वाचन में अपनी स्वतंत्र इच्छा से मतदान में भाग लेना या नही लेना, भारत के संविधान की दसवीं सूची के अंतर्गत निर्हरता के क्षेत्राधिकार में नहीं आएगा और निर्वाचक इस मामलें में स्वतंत्र हैं कि वे अपनी स्वतंत्र इच्छा और पसंद से राष्ट्रपतीय निर्वाचन में मतदान करें अथवा नहीं करें।

(सुमन कुमार दास)
अवर सचिव, संचार